रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1986/आश्विन 8, 1908
No. 460] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1986/ASVINA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

सं. 429/86—केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा. का. नि. 1120 [(अ)]—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, [1944] के [नियम 4] के साथ पठित] केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1)] की [धारा 2] के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टर, पूने को केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टर की शक्तियां विनिहित करता है, जिनका प्रयोग वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में ऐसे मामलों के अन्वेषण और न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए कर सकेगा,

जो उसे समय-समय पर उक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं।

[फा. सं. 207/37/86-सी.एक्स-6]
डी. एस. नेगी, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1986

No. 429|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1120 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby invests the Collector of Central Excise, Pune, with the powers of the Collector of Central Excise, to be exercised by him throughout the territory of India, for the purposes of investigation and adjudication of such cases as may, from time to time, be assigned to him by the said Central Board of Excise and Customs.

[F. No. 207|37|86-CX.6]
D. S. NEGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986